

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : ८६२२/वाद सं० सी-०९५४/एस-७/२०२६

दिनांक: १६ अक्टूबर, २०२६

श्री मोहन मलिक (गिन्नी एजेन्सी),

निकट दून व्यू अपार्टमेंट भागीरथीपुरम जाखन, देहरादून।

विषय :- मा० उच्चतम न्यायालय SLP (C) संख्या ८०४४-८०४५/२०२५ लॉगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के अनुपालन में वाद संख्या सी-०९५४/एस-७/२०२६ के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग २५ गुणा २५ गुणा फीट के क्षेत्रफल में आवासीय भवन में व्यवसायिक दुकान का संचालन किया जा रहा है। जिसका कारण बताओं नोटिस उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, १९७३ की धारा २७(१) के अधीन जारी कर उक्त वाद योजित किया गया है। जिसमें दिनांक १३.१०.२०२६ की सुनवाई नियत की गई। नियत तिथि पर आपके द्वारा व्यवसायिक कार्य की कोई स्वीकृति के अभिलेख एवं रान्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अकुंश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

—आदेश—

विपक्षी के उक्त चालानशुदा निर्माण की कोई स्वीकृति न दिखाने एवं व्यवसायिक कार्य करने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सील आदेश पारित करते हुये दिनांक २३/१०/२६ को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चरप्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जायें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-१-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष.....देहरादून को निर्देशित करने का कष्ट करें।

२-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या १२०५/विविध-जेए/२०२४ दिनांक ०७.११.२०२४ द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

३-सम्बन्धित थानाध्यक्ष..... देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

४-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वेयर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

५-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

६-आई०टी० अनुभाग।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।